विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	लोक निर्माण
प्रश्न संख्या तारांकित	:	4623
उत्तर की तिथि	:	26–02–2022
विषय	:	पदों का ब्यौरा
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री राकेश सिंघा (ठियोग) श्री सतपाल सिंह रायजादा (ऊना) श्री अर्जुन सिंह (ज्वाली)
सम्बन्धित मन्त्री	:	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:– (क) लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने रिक्त हैं तथा न्यायालय के निर्णय अनुसार कितने कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों को निरस्त किया गया; (ख) क्या सरकार निरस्त (Terminate) किए गए कनिष्ठ अभियन्ताओं को पुनः कार्य पर रखने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; ब्यौरा दें;	(क),(ख),(ग)व(घ): सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

(ग) ठियोग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं के कितने पद स्वीकृत है; उनमें से कितने कनिष्ठ अभियन्ताओं को न्यायालय के निर्णय अनुसार निरस्त किया गया है तथा इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा; और (घ) मत्याणा–भज सड़क दुर्घटना के अन्तर्गत मारे गए दो नौजवानों की मृत्यु के समय क्या मत्याणा में कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत था; क्या यह दुर्घटना तंग सड़क की वजह से हुई है; यदि हां, तो कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्ध क्या कार्रवाई अमल में लाई गई?	

***

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्याः 4623 जोकि माननीय विधायक श्री राकेश सिंघा (ठियोग), श्री सतपाल सिंह रायजादा (ऊना) व श्री अर्जुन सिंह (ज्वाली) द्वारा 'पदों का ब्यौरा' बारे पूछा गया है, से सम्बन्धित सूचनाः–

(क)	वर्तमान में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं के कुल 1026 पद स्वीकृत है तथा कुल 85 पद रिक्त है। न्यायालय के निर्णय अनुसार कुल 83 कनिष्ठ अभियन्ताओं जोकि अनुबन्ध आधार पर नियुक्त थे, की सेवाओं को निरस्त (Terminate) किया गया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा पुर्ननिर्धारित योग्यता क्रम सूची (Revised Merit List) में 38 कनिष्ठ अभियन्ताओं को फिर से स्थान मिलने के बाद विभाग द्वारा इन्हे पुनः नियुक्ति प्रदान की गई है।
(ख)	निरस्तिकरण आदेशों (termination orders) के विरूद्व की गई अपील को हि0 प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है तथापि सरकार द्वारा मामले का पुनः परीक्षण किया जा रहा है।
(ग)	ठियोग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के मण्ड़लों मे कनिष्ठ अभियन्ताओं के कुल 33 पद स्वीकृत है। उनमें से न्यायालय के निर्देशानुसार कुल 04

	कनिष्ठ अभियन्ताओं की सेवाओं को निरस्त (Terminate) किया गया था। जबकि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पुर्ननिर्धारित योग्यता क्रम सूची (Revised Merit List) में निरस्त किए गए 02 कनिष्ठ अभियन्ताओं ने फिर से स्थान पाया था और विभाग द्वारा उन दोनो कनिष्ठ अभियन्ताओं को उनके पहले वाले स्थान पर ही नियुक्त किया गया है। सेवानिवृति व स्थानान्तरण के कारण पदों का रिक्त होना व उन्हें स्थानान्तरण, पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है, तथापि रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार यथासम्भव प्रयास कर रही है।
(घ)	मत्याणा–भज सड़क दुर्घटना के अन्तर्गत मारे गए दो नौजवानों की मृत्यु के समय मत्याणा अनुभाग का अतिरिक्त कार्यभार शिलारू अनुभाग के कनिष्ठ अभियन्ता के पास था। मत्याणा–भज सड़क दुर्घटना तंग सड़क की वजह से नही हुई है।

***